गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 345 /प्रवर्तन(जोन-5)/2016 दिनांक 22|01|16

आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र

सेवा में,

निदेशकगण

क्रासिंग इन्फ्रा0 प्रा0लि0

क्रासिंग रिपब्लिक टाउनशिप,

NH-24, गाजियाबाद।

for GGV Residents only

विषय : क्रासिंग रिपब्लिक इन्टीग्रेटेड टाउनशिप स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जी.एच.-4 (गौड़ ग्लोबल विलेज) के आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा मै0 क्रासिंग रिपब्लिक इन्फ्रा.प्रा.लि. द्वारा गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जी.एच.-4 (गौड़ ग्लोबल विलेज), डून्डाहेडा, क्रासिंग रिपब्लिक इन्टीग्रेटिड टाउनशिप के सम्बन्ध में आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.11.2015 के साथ संलग्न अभिलेखो/प्रमाण पत्रो का परीक्षण अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के पश्चात् निर्गत शमन मानचित्र दिनांक 25.06.2015 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 क(2) के अन्तर्गत उल्लिखित टॉवर-ए, बी, सी, डी एवं ई/ (व्यवसायिक शॉप्स) एवं क्लब का पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है कि टाउनशिप का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप से पूर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।

शर्ते- FOR GGV RESIDENS ONLY

1- फायर विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं फायर विभाग के निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
2- निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत निर्मित भवन के अनुसार सक्षम स्तर से भूकम्परोधी एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता, स्ट्रक्चरल इंजी. एवं साईट इंजी. की होगी।
3- भू-स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की स्थिति में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
4- शासनादेश के अनुसार स्थल पर निर्मित रेन वाटर हार्वेस्टिंग/सोलर वाटर हीटिंग संयत्र को सुचारू रूप से क्रियाशील रखना होगा।
5- एयरपोर्ट अर्थोरिटी से पूर्व प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुपालन करना होगा।
6- निर्माणकर्ता द्वारा भवन निर्माण लागत का 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सेस के मद में अब तक 90.00 लाख जमा कर रसीद प्रस्तुत की गयी है। अवशेष लेबर सेस की निर्माण के सापेक्ष श्रम विभाग द्वारा यदि कोई देयता बनती है तो सम्बन्धित निर्माणकर्ता को स्वयं जमा कराना होगा तथा जमा की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
7- एपार्टमेन्ट एक्ट-2010 एवं शासनादेश के निर्देशों का पालन करना होगा।
8- पार्किंग प्लान में दर्शित पार्किंग क्षेत्र का कोई अन्य उपयोग अनुमन्य नहीं होगा।

[P.T.O.]

9- सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में पेड़ एवं प्रदर्शित ग्रीन यथावत रखना होगा एवं उसका रख-रखाव भी करना होगा।
10- उपरोक्तानुसार मानचित्र स्वीकृति एवं पूर्व शमन के समय अंकित शर्तें यथावत होगी।
11- स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त कोई भी निर्माण एवं विचलन/भू-उपयोग अनुमन्य नहीं होगा। उपरोक्त समस्त शर्तो का अनुपालन न करने पर दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
12- टाउनशिप का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं अनिवार्य रूप से ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अन्तिम रूप से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

for GGV Residents only

भवदीय,

(दयानन्द प्रसाद)

विशेषकार्याधिकारी